



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

678989



28-11-11

कार्यालय का नाम— उपनिवन्धक सदर आजमगढ़

001 क्र. ०८००। जिले-दराम १/० एवं इन्हें राज सरकार द्वारा प्राप्ति (आ-टी-सी)
द० ५-३२ दिना ओजान्ना
ल००८/११/२०११
१००००

विषय-पत्र नं. ०९८
मुख्यमंत्री कार्यालय



२२२ टी.३
२१ - २५८००।

१०९

२ वड ५००

१०० — १०० ←
अन्तर- १५० —
१८७८८ - ६९ —
१०१.९९ DT. २९.११.२०११



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 981267

- 7— ट्रस्ट का नाम व पता — श्री ठाकुर जी महराज समिति ट्रस्ट (शान्तीनगर) कोलपाण्डेय पोस्ट— भैवरनाथ ताहसील — सदर जिला आजमगढ़
- 8— कुल अदा किया गया स्टाम्प— 1000/- हम कि जितेन्द्र राय पुत्र सर्वदेव राय निवासी ग्राम— कोलपाण्डेय (शान्तीनगर) पोस्ट— भैवरनाथ ताहसील — सदर जिला आजमगढ़ का स्थायी निवासी हूँ। हम मुकिर एक ट्रस्ट की स्थापना कर रहा हूँ तथा इसके कार्य रूप में वर्णित कर रहा हूँ हम मुकिर का लगाव हमेशा गरीबों की मदद करना व शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। हम मुकिर का उद्देश्य व मंशा को कार्य रूप में लाने के लिए इस धर्मार्थ ट्रस्ट का विलेख हम मुकिर अपने परिवार के सहयोग व इच्छा से आज दिनांक २४-११-२०११ को स्वेच्छा से पूरी तरह विचार विमश कर स्वच्छ मन से निष्पादित कर रहा हूँ जो प्रमाण रहें जो बक्त एवं काम आवे।
- 1— ट्रस्ट का नाम इस ट्रस्ट का नाम श्री ठाकुर जी महराज समिति ट्रस्ट शान्तीनगर कोलपाण्डेय आजमगढ़ होगा।
- 2— ट्रस्ट का मुख्यालय — इसीका मुख्यालय हमेशा ग्राम— कोलपाण्डेय (शान्तीनगर) पोस्ट— भैवरनाथ ताहसील — सदर जिला आजमगढ़ रहेगा केवल कार्य की आवश्यकता को देखते हुए ही मुख्यालय ट्रस्टी के संस्थापक मण्डल के दो तिहाई बहुमत से ही अन्यत्र खोला जा सकेगा। तथा ट्रस्ट मण्डल के बहुमत से ही इस शाखा कार्यालय अन्यत्र खोला जा सकेगा।
- 3— ट्रस्ट का क्षेत्र — सम्पूर्ण भारत वर्ष
- 4— ट्रस्ट का उद्देश्य —
- क— लोगों का सामाजिक आर्थिक, शैक्षिक अहयात्मिक शरिरीक व्यवसायाजिक एवं वौद्धिक विकास करना
- ख— लड़के व लड़कियों के लिए सीमान्य शिक्षा उच्च शिक्षा रोजगार परक व आम परक तकजीकी एवं व्यवसायिक, आध्यात्मिक व पालिटेक्नीक कालेज व आईटीआई कालेज विद्यिक कालेज व कमान्ट प्रशिक्षण

[Signature]




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 981268

कम्प्यूटर एवं प्रविधिक मणिकल व वैानिक शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना उनका संचालन करना तथा उस कम में विनाग्रीय केन्द्रो प्रकोष्ठो आदि की स्थापना करना एवं सम्बन्धित पात्र कमों को लागू करना । -

- ग- आर्थिक तथा सामाजिक रूप में पिछड़े लोगो माहिलाओं छात्रों एवं छात्राओं बच्चों तथा मुद्रों एवं निक्षार मूक वाधिरो के लिए कल्याण कारी योजनाओं का कार्यान्वयन करना ।
- घ- गृहीब वित्ताओं के निदान के लिए इवाओं का वितरण करना तथा अस्पताल स्थापित करके या विकित्सकों की सेवाये हासिल करके सरस्ती व मुकता धिकित्सकीय सुविदा उपलब्ध कराना तथा निःशुल्क नेत्र धिकित्सा शिविर आदि की आयोजन करना ।
- इ- ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का निस्तार येरोजगारों के लिए रारेजगार तथा प्रविधिक शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा एवं विधि कालेज खोलना व रोजगार प्रक शिक्षा पर विशेष वल देना ।
- च- सौन्दर्यिक, वैज्ञानिक, धर्मिक एवं तकनीकी कार्यक्रमों का आयोजन करना व उनकी व्यवस्था करना
- छ- पुरुतकालय एवं वाचनालय व छात्रावास व्यामशाला व प्रव्यागशाला की व्यवस्था करना





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 981269

- ज— समाज के सभी वर्गों के होनहार परिश्रमी व कुशल बुद्धि के छात्रों के लिए विभिन्न अम्मान परितोषित छात्रवृत्ति एवं अनुदान की यथासम्भव व्यवस्था करना व अन्य सुविधायें प्रदान करना एवं निराश्रितों हेतु अन्नाधलय वृद्धाश्रम तथा यात्रियों हेतु धर्मशाला आदि का निर्माण करना ।-
- झ— भारत सरकार व प्रदेश सरकार व स्वेच्छिक एन०जी०आ० द्वारा प्राप्त सहमगिता योजनाओं को संचालित करना ।
- झ— भाट्टस्ट का उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट मण्डल के अध्यक्ष यानी प्रबन्धक की मह अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट मण्डल की सहमगि से नियमानुसार किसी बैंक अथवा संस्था से लोन ले सकता है लोन की आदयगी कराने के लिए ट्रस्ट मण्डल वाध्य होगा
- ५— उपरोक्त हेतु यह ट्रस्ट विना किसी भेदभाव के उपयुक्त प्रकार के लो कल्याण के कार्यों को पूरा करने का पूरा प्रयत्न करेगा जिसके लिए व्यक्तिओं जग्रपतिनिधिओं से व अंगठनों संस्थाओं तथा आकार से अनुदान चन्दा कम संविदा तथा अन्य वैद्य तरीकों द्वारा चल व अंचल सम्पत्ति प्राप्त व अर्जित कर सकेगा ।
- ट्रस्टीगण निम्न लिखित व्यक्ति है—
- नाम— पिता का नाम / पति का नाम — पता पेशा
- १— प्रबन्धक जितेन्द्र राय उम्र ३२ वर्ष पुत्र सर्वदेव राय निवासी ग्राम— कोलपाण्डे (शान्तीनगर) पोस्ट— भैवरनाथ तहसील — सदर जिला आजमगढ़ व्यवसाय
- २— शारदा शंकर पुत्र जितेन्द्र राय ग्राम कोलपाण्डे (शान्तीनगर) परगना निजामाबाद पोस्ट— भैवरनाथ तहसील — सदर जिला आजमगढ़ अध्ययनकर्ता







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 981270

- 3— सुनयना राय पुत्री उमाशंकर राय गृहणी
- 4— भोनिका राय पुत्री उमाशंकर राय गृहणी
- 5— कुर्मा राय पुत्र उमाशंकर राय ग्राम सोडसर पो० फैज़जुलाहपुर तहसील सदर जिला मुर
- 6— उपरोक्त ट्रस्टीगण ट्रस्ट के प्रथम व प्रारम्भिक ट्रस्टीगण हैं। जिनके द्वारा ट्रस्ट की वर्तमान चल व अचल सम्पति संभालित व निहित हुई है। इस ट्रस्ट की स्थापना करने वाली उपरोक्त ट्रस्टीगण इस ट्रस्ट के आजीवन संस्थापक सदस्य रहेंगे इस संस्थान के संस्थापक मण्डल के रूप में प्रतिष्ठित रहेंगे।
- 7— यह कि ट्रस्टीगण की संख्या अधिक से अधिक 15 हो सकती है। जो कि आवश्यकता पड़ने पर वर्तमान ट्रस्टीगण के बहुमत से यन सकते हैं तथा इस ट्रस्ट के ट्रस्टीगण की वालिंग अन्तान जो स्वस्माचित का हो तथा इस ट्रस्ट में संस्थारखता हो नसलन वाद नसलन ट्रस्टीगण होते रहेंगे।
- 8— यह कि उपरोक्त ट्रस्टीगण हैं जिनके योगदान सहयोग से ट्रस्ट की वर्तमान अम्त मु० 25,000/- रु० के सकंल्प सम्पन्न व प्रदान पर इस ट्रस्ट का सृजन हो रहा है। और मानिष्य में उपरोक्त ट्रस्टी अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोई अन्य चल व अचल सम्पति वालीमत दान अनदान की अथवा संविदा पदा द्वारा अर्जित प्राप्त कर स्वीकार कर सकते हैं उपरोक्त ट्रस्टीगण इसके द्वारा संचालि संस्थानों के भी आजीवन सदस्य रहेंगे तथा इस ट्रस्ट का सदस्य जितेन्द्र राष्ट्र पुत्र सर्वदेव राष्ट्र प्रबन्धक होगे तथा संचालित संस्थाओं के भी आजीवन प्रबन्धक रहेंगे।

[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 981261

- 9— यह कि प्रत्येक ट्रस्टी के लिए ट्रस्ट के कामों में पूरी दिल्लचस्पी लेना आवश्यक होगा और यदि कोई ट्रस्टी ट्रस्ट मण्डल की चार वैठकों में अनुपस्थित रहेगा तो ट्रस्ट मण्डल को अधिकार होगा कि उस ट्रस्टी को नोटिस के उपरान्त ट्रस्टी के पद से मुक्त कर सकते हैं।
- 10— यह कि ट्रस्ट का प्रबन्धक इस ट्रस्ट के मुख्य कार्याधिकारी होगे तथा ट्रस्ट प्रबन्धक मण्डल के निमार्ण के अनुसार ट्रस्ट का प्रबन्धक करेगा तथा इन्हे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार होगा।
- 11— यह कि प्रबन्धक के न रहने या त्याग पत्र देने पर ट्रस्टीगण को यह अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के निष्पादन जितेन्द्र राय के पुत्र शारदा शकंर राय ही एक मात्र प्रबन्धक होगे जिनका चयन ट्रस्टीगण के बहुमत से होगा।
- 12— ट्रस्ट द्वारा निर्मित किसी भी चल व अचल सम्पत्तिमें प्रबन्धक के बौद्ध सम्बन्धित व्यक्ति के अलावा किसी दूसरे का अधिकार इस ट्रस्ट पर नहीं होगा प्रबन्धक की अनुपस्थित में उनके ज्येष्ठ पुत्र ही मान्य होगे उनके पास समस्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति का अधिकार होगा।
- 13— यह कि ट्रस्ट मण्डल की वैठक कम से कम एक वर्ष में दो बार आवश्य होगी जिसमें ट्रस्ट के संचालन व कियाकलापों पर विचार व वर्ष में एक वार्षिकोत्सव होगा जिसमें ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के कियाकलापों व हिसाब किताब का लेखा जोखा होगा तथा अन्य आवश्यक निर्णय लिए जो भरें।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 981262

- 14- यह कि ट्रस्ट की सम्पूर्ण धनशारणि किस रजिस्टर्ड बैंक या पोस्ट आफिस में ट्रस्ट के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन जरीये प्रबन्धक संयुक्त रूप से करेगे।
- 15- यह कि ट्रस्ट में एक कोषाव्यक्त होगा जिसकी नियुक्ति ट्रस्टी मण्डल अपने बहुमत से तीन वर्ष के लिए करेगा कोषाव्यक्त के लिए कि हिसाब किताब का व्यौरा संविव से लेकर रखे तथा उसका आडिट प्रति वर्ष कराने तथा प्रति वर्ष ट्रस्ट मण्डल में उसे पास कराने।
- 16- यह कि ट्रस्ट द्वारा स्थापित किए गये संस्थानों को सुधारू रूप से चलाने के लिए उस संस्थान के विशेष नियमों हैं निमावली बनाने का अधिकार ट्रस्टी मण्डल को होगा तथा ट्रस्टी मण्डल उन नियमों व उपनियमों को समय समय पर आवश्यक संशोधन कर सकेगा।
- 17- यह कि ट्रस्ट द्वारा व संचालित प्रतिश्ठान के लिए मण्डल को अपना एक उप समिति भी गठित करने को अधिकार होगा जिसमें ट्रस्टीगण के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञों को भी ट्रस्ट मण्डल में मनोनीत कर सकगा तथा इस प्रकार से नियुक्ति की गई उप समिति के अधिकार उसका कार्यकाल और कार्य क्षेत्र ट्रस्ट मण्डल को निश्चित करने का अधिकार होगा और उक्त समितियों ट्रस्ट मण्डल के बहुमत में निर्णयों एव आदेशों का पालन करेगी ट्रस्ट मण्डल को उक्त उप समितियों को भंग करने उनके सदस्यों को नियुक्त करने का तथा नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।
- 18- यह कि ट्रस्ट को किसी भ नियम द्वारा प्रशासन व किसी भी व्यक्ति द्वारा ट्रस्ट के नाम से जगीन जायजाद प्राप्त करने तथा ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित प्रतिश्ठानों के लिए भवन निर्माण व उसके लिए उपयोगी वस्तुओं को खरीद व व्यवस्था आदि करने का अधिकार होगा। ट्रस्ट को यह भी अधिकार होगा कि कोई सम्पत्ति अथवा धन किसी से दान रूप में प्राप्त करें अथवा कोई सम्पत्ति अपने उददश्यों की पूर्ति के लिए खरीदे या पटटे या संविदा ऐं प्राप्त करे तथा किसी विशेष परिस्थित में ही ट्रस्ट मण्डल के दो तिहाई बहुमत के प्रस्ताव से ट्रस्ट की सम्पत्ति अन्तरण की जा सकेगी।

[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 981263

19— यह कि ट्रस्ट की अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अन्य आवश्यक कार्य जैसे दुकाने बाजार आदि बनवाकर किराये पर उठाने का अधिकार होगा। उक्त आमदनी जो दुकानों तथा अन्य प्रकार से होगी वह आमदनी ट्रस्ट के कार्यों हेतु निहित होगी।

20— यह कि ट्रस्ट की ओर से उसके द्वारा स्थापित व संचालित संस्थानों की प्रत्येक कानूनी कार्यवाही करने का एक मात्र अधिकार ट्रस्ट के प्रबन्धक को होगा तथा आजमगढ़ न्यायालय को क्षेत्राधिकार होगा।

21— ट्रस्टीण/ट्रस्टी मण्डल के कर्तव्य ऐवं अधिकार

क— इस ट्रस्ट का उचित प्रचार व प्रकार करना और उसे जनप्रिय तथा जनोप्रयोगी बनाना।

ख— विधि के अनुसार हा आवश्यक व उचित कार्य करना तथा उसके लिए हाउरद से प्रबंधनशील रहना।

ग— ट्रस्ट सम्पत्ति का पूरी विवरण रखना तथा लेख जाखा रखना तथा समय समय पर आडिट करना।

घ— उपरोक्त ट्रस्ट के असितत्त को निरन्तर सिधर रखना तथा कार्य क्षेत्र ऐवं अद्गुणों का विस्तार करना।

ड— ट्रस्टी मनल की वर्ष में कम से कम दो बार पूर्ण सूचना के अधिकार पर वैठक करना अनभीत कालीन परिस्थितियों में विशेष बैठक की व्यवस्था करना तथा बैठक में कार्यवाही पंजिका उसकी सम्पत्ति व आय व्यय आदि का लेखा जोखा व विवरण रखनी।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 981264

- अ - ट्रस्ट मण्डल अपने सदस्यों का चयन कार्यों के कियान्त्रयक उद्देश्य का निस्तार उप समिति के निर्देश संस्थाओं के संचालन कार्मचारियों के चयन निष्काशन आदि का निर्णय अनित्म होगा उसके निर्णयों की कही व किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
- ट- किसी प्रकार का वाद आजमगढ़ न्यायालय के न्याय क्षेत्र में आयेगा।
- ठ- ट्रस्ट विलेख नियुक्ति सम्बन्धित दस्तावेज व कार्यवाही पुस्तिका चल एवं अचल सम्पत्ति के अर्मित करने के क में प्राप्त अभिलेख प्रबन्धक के पास ही सुरक्षित रहेगे जिन्हे आवश्यकता नुसार ट्रस्टी मण्डल द्वारा मागे जाने पर या आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करना होगा।
- ड- ट्रस्टी मण्डल की प्रथम बैठक में व समय समय पर पदाधिकारियों के अन्य दायित्वों कर्तव्यों और अधिकारों की निर्धारित किया जायेगा जो विधि सम्मत हो।
- ढ- ट्रस्ट के कार्यों ऐव उसके द्वारा संचालित संस्थाओं आदि वे कार्य के लिए ट्रस्टी मण्डल दोतिहाई बहुमत व्यक्तियों को देश प्रदेश व्याको व शाम पंचायतो में तीन वर्षीय प्रबन्धक तन्त्र की व्यवस्था करना।
- च- द इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 अथवा तत्कालीन विधि के अनुरूप और पारम्परिक रीति रिवाज और व्यवहार के अनुसार आवश्यक कार्य करना।
- छ- भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त अनुरक्षण मेन्टिनेन्स के समुद्धित उपयोग हेतु सुनिश्चित करना ट्रस्ट के लिए सभी प्रकार के अनुदान दान उपहार लाभार्थ तथा चन्दा आदि प्राप्त करना।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 981265

- ज— ट्रस्ट के विभिन्न विद्यालयों केन्द्रों पाठ्यक्रमों संस्थाओं विभागों आदि के लिए उससे सम्बन्धित निधि एवं नियमों का अनुपालन करना और उसके अनुरूप उसकी स्थापना संचालन एवं प्रबन्धक की व्यवस्था करना तथा ट्रस्ट द्वारा संधालित इन विद्यालयों महाविद्यालयों केन्द्रों संस्थाओं का संचालन एवं प्रबन्ध ट्रस्ट मण्डल ही करेगा।
- झ— ट्रस्ट/संस्था के वैतानित कर्मचारियों की नियुक्ति करना स्थानान्तरण करना पदोन्नति करना उसके चरित्र पंजीकारों में दर्ज करना व उस पर निर्णय करना तथा उन्हे पदव्युत करना नियुक्ति लिखित प्रस्ताव से कर सकेगा जो हर तीन वर्ष की सम्माप्ति पर नियुक्त होती रहेगी। तथा इस पर ट्रस्टी मण्डल का पूर्ण नियन्त्रण रहेगा।
- ग— उपरोक्त के अतिरिक्त इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 एवं तत्कालीन विधि द्वारा प्राप्त अधिकार एवं दावित्य जो उपरोक्त व्यवस्थाओं के प्रतिकूल न हो।
- 21— गणपूर्ति — ट्रस्टीमण्डल की दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में प्रबन्धन समिति ट्रस्टी मण्डल की समस्त बैठकों गी गणपूर्ति माना जायेगी।
- 22— सदस्यता की सम्माप्ति — ट्रस्ट की सदस्यता निम्न परिस्थिति में समाप्त समझी जायेगी।
- क— किसी सदस्य की मृत्यु होने पर
 - ख— किसी सदस्य के पागल अथवा ट्रस्ट में हेरा—फेरा व अवैध कार्य करने पर
 - ग— किसी सदस्य की अनैतिक अपराध में लिप्त होने पर
 - घ— किसी सदस्य के सदस्यता से त्यागपत्र देने की दशा में अध्यक्ष के अनुमोदन पर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 981266

23- संविधान के संशोधन की प्रक्रिया ट्रस्ट मण्डल की ट्रस्ट धारियों को यह अधिकार होगा कि किसी भी समय लिटिंग बुलाकर दो तिहाई बहुमत से संविधान को संशोधित कर सकेंगे। तथा आवश्यकतानुसार संशोधित विलेखों का प्रमाणीकरण करा सकेंगे परन्तु किसी भी दशा में ट्रस्ट के मूल भूत उद्देश्यों में संशोधन का अधिकार नहीं होगा।

24- ट्रस्ट / के नियमों प्रतिबन्धों कार्यकलाप सम्बन्धित विवरण तथा अन्य प्रावधानों के बारे में संका उत्पन्न होने पर ट्रस्टी मण्डल का निर्णय अन्तिम होगा।

अतः स्वस्थित एवं बुद्धि से सोच व समझकर यह ट्रस्टनामा लिख दिया कि सनद रहें और वक्त पर काम आये।

दिनांक

डाईपर्कर्ता - श्रीलालाचान्द्र शुक्ला


मरणवाकर्ता -
नशीमुद्दीन बहादुर
३५९ इंद्रांगन
प्रसादलाला ट्रस्टनामा

ग) रेक्ट्रेक्टर कुलपाटकी, लिक्षणपाल,
सौरभीलाला ३० जून १९८८


श्रीलालाचान्द्र शुक्ला
श्रीलालाचान्द्र शुक्ला
लालाचान्द्र

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा-32 वा० के अनुसालन है।
फिंगर सं प्रिन्ट्स

प्रमुखकर्ता / विक्रेता नाम व पता:- श्री मितेन राय न० ४७३५/१६ स० कोल ५००५
 (श्री हीनगा) प्रा० गव(नाम) ५०/३१८८८ न० ११११ जि.
 ग्रामे हाथ के अंगुलियों के चिह्न:- कापाना



उपरीज हाथ के अंगुलियों के चिह्न




प्रमुखकर्ता / विक्रेता के चिह्न

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता:-


[Signature]



ग्रामे हाथ के अंगुलियों के चिह्न



उपरीज हाथ के अंगुलियों के चिह्न



आज दिनांक 28/11/2011 को

वही सं. 4 जिल्हा सं. 136

पृष्ठ सं. 349 से 372 पर कागांक 75

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

~~एस०क००~~ मिश्र

उपनिवेशक सदर

आजमगढ़

28/11/2011